

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002


Notification No. 03/2024-State Tax

Dated: 22/01/2024

No. F.3 ( 07 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 704 - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the Government's Notification No. 30/2023 State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (18)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1085, dated 29<sup>th</sup> December, 2023 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force from 1<sup>st</sup> day of January, 2024.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


  
(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 ( 07 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 704

Dated: 22/01/2024

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.

  
(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002


अधिसूचना संख्या- 03/2024-राज्य कर

दिनांक: ०३ / ०१ / 2024

सं.फा.3( 07 )/वित्त(व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/ 704 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, इस सरकार, की अधिसूचना संख्या 30/2023- राज्य कर (दर), जिसे सं.फा. 03(18)/वित्त(राजस्व-1)/2023-24/डीएस-1/1085, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV की धारा 3, उपधारा (i) के द्वारा प्रकाशित की गई थी, को ऐसे विखंडन के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, विखंडित करती है।

2- यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर


  
(रविन्द्र कुमार)  
उप सचिव (व्यय-1)

सं.फा.3( 07 )/वित्त(व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/ 704

दिनांक: ०३ / ०१ / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साइट।
- 12 गार्ड फाइल।

  
(रविन्द्र कुमार)  
उप सचिव (व्यय-1)